R.M.M. Law College - Saharsa
Manvendra Mandal
part-time Lecturer

Subject - Contract - II
Specific Contracts

(Short notes on principal debtor and creditor)

(1) Principal debtor - मूल ऋणी

जिस व्यक्ति के व्यतिक्रम के सम्बन्ध में guarantee दी जाती है उसे principal debtor कहा जाता है। जैसे - क की प्रत्याभूति पर ग, ख को ऋण देता है। यहाँ ख मूल ऋणी है। principal debtor का दायित्व हमेशा प्राथमिक होता है और उसके द्वारा चूक किये जाने पर surety का दायित्व उत्पन्न होता है। surety द्वारा देयगी करने पर principal debtor का कर्तव्य हो जाता है कि वह surety की क्षतिपूर्ति करे।

Guarantee की प्रत्येक संविदा में मूल ऋणी द्वारा surety की क्षतिपूर्ति किये जाने की implied promise होती है और surety उन राशियों का जो उसने guarantee के अधीन rightfully दी है principal debtor से मांग कर सकता है, परन्तु जो रकम उसने अनाधिकारपूर्वक दी है उसे principal debtor से वसूल करने का हकदार नहीं है। यदि सम्पूर्ण ऋण की रकम से कम रकम देकर surety दायित्व से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो principal debtor, surety को उतनी ही रकम देने के लिए दायी होगा जितना वास्तव में surety को देना पड़ता है।

(2) लेनदार (Creditor) - जिस व्यक्ति को guarantee दी जाती है उसे लेनदार कहते है। उदाहरण के लिए मोहन, सोहन से 500 रु० ऋण के रूप में लेता है और एक वर्ष के अन्दर 5% की दर से ब्याज के साथ वापस करने का वचन देता है और सुरेन सोहन को वचन देता है कि यदि मोहन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करेगा तो सुरेन उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। यहाँ प्रत्याभूति सोहन को दी गई है। सोहन लेनदार है। principal debtor द्वारा अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करने पर creditor, surety से उसकी प्रतिज्ञा का पालन करवा सकता है। यदि principal debtor चूक करता है तो लेनदार principal debtor या surety या दोनों के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। ऐसी स्थिति में surety यह नहीं कह सकता कि पहले लेनदार principal debtor के विरुद्ध अपना सभी उपचार खत्म कर ले, फिर surety से principal debtor द्वारा देय रकम वसूल करने हेतु कार्यवाही करे। जब तक संविदा द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो,

Scanned with CamScanner

P-2 लेनदार (Creditor)

Surety का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण (बराबर) होता है+ और principal debtor के चूक पर surety का दायित्व तुरन्त उत्पन्न हो जाता है।

प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखना creditor का कर्तव्य है। creditor को भुगतान करने के बाद surety, creditor का स्थान ग्रहण कर लेता है और creditor के पास principal debtor के विरुद्ध जो भी प्रतिभूतियाँ है, उनको surety creditor से ले सकता है। अंग्रेजी विधि में surety वह समस्त प्रतिभूतियाँ प्राप्त कर सकता है जो लेनदार के पास principal debtor के विरुद्ध है चाहे उसे creditor ने contract of guarantee के पूर्व प्राप्त किया हो या उसके बाद प्राप्त किया हो। परन्तु भारतीय विधि में surety उन्ही प्रतिभूतियों को लेनदार से ले सकता है जो उसके प्रतिभू होने की तिथि (अर्थात प्रत्याभूति की संविदा के समय) लेनदार के पास थी। यदि लेनदार ऐसी प्रतिभूतियों को स्वो बैठता है या surety के सम्मति के बिना छोड़ देता है तो surety ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य तक उन्मुक्त हो जाता है, परन्तु यदि लेनदार प्रतिभूतियों को अपरिहार्य दुर्घटना या देवी घटना के कारण खो देता है तो surety उन्मुक्त नहीं होगा।

Scanned with CamScanner